भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3958

बुधवार, दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कौशल विकास</u>

3958. श्री शशांक मणि: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुशल जनशक्ति विकसित करने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार क्या पहल की गई है;

(ख) सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के माध्यम से हरित रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए सरकार की रूपरेखा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कुशल जनशक्ति (मैनपावर) विकसित करने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जो **अनुलग्नक-I** में दी गई हैं।

(ख) इस कार्यालय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित तथा प्रमाणित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक-2** की **तालिका 1 एवं 2** में दी गई है।

(ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अनुमोदित प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में सूर्यमित्र कौशल विकास कार्याक्रम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) तथा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) के अंतर्गत प्रशिक्षणों का कार्यान्वयन कर रहा है, जिनका विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

(घ) सौर, पवन, जैव ऊर्जा, जल विद्युत, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण सहित नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) को अपनाने से क्षेत्र के विनिर्माण, स्थापना, प्रचालन और रखरखाव क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तदनुसार, प्रशिक्षित कार्यबल विकसित करने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजन को सुविधाजनक बनाने के लिए, एमएनआरई विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है, जैसा कि इस उत्तर के भाग (क) में दिया गया है

इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा और प्रशिक्षण को संस्थागत बनाने और देश में योग्य और प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, एमएनआरई की मानव संसाधन विकास योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए जारी रखा गया है।

अनुलग्नक-I

'नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कौशल विकास' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के लोक सभा आतारांकित प्रश्न सं. 3958 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कुशल जनशक्ति विकसित करने के लिए निम्नलिखित क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है:

i. मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत सूर्यमित्र (सौर पीवी तकनीशियन), वायुमित्र (पवन ऊर्जा संयंत्र तकनीशियन) और जल-ऊर्जामित्र (लघु जल विद्युत संयंत्र तकनीशियन) जैसे कौशल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस) गुरुग्राम, हरियाणा, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (नीवे), चेन्नई, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान (नाईब), कपूरथला, पंजाब नामक स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से युवाओं को सौर, पवन तथा जैव ऊर्जा में कौशल प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन किया जा रहा है। जल विद्युत में मंत्रालय का कौशल कार्यक्रम हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट (एचआरईडी), आईआईटी रुड़की के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसियां देश भर में स्थित पैनल में शामिल प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से इन कार्यक्रमों को लागू कर रही हैं।

ii. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) के तहत, पूरे देश में रूफटॉप सौर प्रणालियों के लिए स्थापना/डिजाइन/प्रचालन एवं रखरखाव के लिए सक्षम स्थानीय विशेषज्ञ कार्यबल तैयार करने के लिए, तकनीशियनों/इलेक्ट्रीशियन /इंस्टॉलर/इंजीनियरों/पर्यवेक्षकों/वेंडरों/प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस) स्किल काउंसिल ऑफ ग्रीन जॉब्स (एससीजीजे) और टाटा पावर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (टीपीएसडीआई) आदि के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

iii. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) के तहत स्किलिंग, अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग योजना के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के लिए मैनपावर का कौशल विकास किया जाता है।

iv. वायुमित्र और जल ऊर्जी मित्र कौशल विकास कार्यक्रम क्रमश पवन समृद्ध और लघु जल विद्युत (एसएचपी) समृद्ध राज्यों में कार्यान्वित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी

कौशल कार्यक्रम अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित किए जाते हैं, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

कार्यक्रम का नाम	**कार्यान्वित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
वायुमित्र	राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और केरल
जलऊर्जामित्र	जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्य।

अनुलग्नक-II

'नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कौशल विकास' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के लोक सभा आतारांकित प्रश्न सं. 3958 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

तालिका 1: पिछले पांच वर्षों के दौरान सूर्यमित्र, जल-ऊर्जामित्र और वायुमित्र कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य वार प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवार (वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशिक्षित एवं प्रमाणित उम्मीदवारों की संखया			
		सूर्यमित्र	जल-ऊर्जामित्र	वायुमित्र	कुल
1	अंडमान एवं नीकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	460	261	41	762
3	अरुणाचल प्रदेश	120	29	0	149
4	असम	198	0	0	198
5	बिहार	390	0	4	394
6	चंडीगढ़	53	0	0	53
7	छत्तीसगढ	293	0	0	293
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0
9	दिल्ली	44	0	2	46
10	गोवा	0	0	0	0
11	गुजरात	439	0	219	658
12	हरियाणा	257	0	0	257
13	हिमाचल प्रदेश	90	133	0	223
14	जम्मू और कश्मीर	1377	0	0	1377
15	झारखंड	120	0	1	121
16	कर्नाटक	499	53	254	806
17	केरल	193	0	18	211
18	लद्दाख	46	0	0	46
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	2692	0	131	2823
21	महाराष्ट्र	1189	239	597	2025
22	मणिपुर	0	0	0	0
23	मेघालय	60	0	0	60
24	मिजोरम	0	0	0	0

25	नगालैंड	0	0	0	0
26	ओडिशा	642	510	0	1152
27	पुदुचेरी	87	0	4	91
28	पंजाब	549	0	0	549
29	राजस्थान	3062	0	391	3453
30	सिक्किम	30	0	0	30
31	तमिलनाडु	957	115	1029	2101
32	तेलंगाना	569	0	6	575
33	त्रिपुरा	90	0	0	90
34	उत्तर प्रदेश	3194	0	1	3195
35	उत्तराखंड	503	324	0	827
36	पश्चिम बंगाल	503	0	1	504
कुल:		**18706**	**1664**	**2699**	**23069**

तालिका 2: पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) एवं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) के अंतर्गत राज्य वार प्रशिक्षित तथा प्रमाणित उम्मीदवार (वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवार							
		पीएमएसजीएमबीवाई						एनजीएचएम	
		सौर इंस्टॉलर/इंजीनियर/तकनीशियन	सोलर हेल्पर/असिस्टेंट टेक्नीशियन	विक्रेताओं के रूप में उद्यमी	रूफटॉप सोलर सुपरवाइजर	डिस्कॉम के अधिकारी	कुल	प्रशिक्षित	प्रमाणित
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	100	-	-	-	-	100	-	-
2	आंध्र प्रदेश	8,373	26	1863	4	-	10266	331	320
3	अरुणाचल प्रदेश	15	-	-	-	-	15	-	-
4	असम	764	944	1162	-	-	2870	131	124
5	बिहार	9098	482	4523	45	-	14148	-	-
6	चंडीगढ़	91	-	30	-	-	121	-	-
7	छत्तीसगढ	874	250	861	-	-	1985	-	-
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	450	122	-	214	859	1645	269	253

9	दिल्ली	103	-	-	-	-	103	-	-
10	गोवा	3283	435	1684	122	897	6421	725	643
11	गुजरात	6874	579	1085	-	-	8538	676	639
12	हरियाणा	2,952	169	2407	-	-	5528	-	-
13	हिमाचल प्रदेश	2694	2703	1138	1	-	6536	-	-
14	जम्मू और कश्मीर	1536	1187	1033	564	44	4364	-	-
15	झारखंड	13324	238	317	6	-	13885	177	165
16	कर्नाटक	4309	38	53	61	-	4461	-	-
17	केरल	14	-	149	-	-	163	-	-
18	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-	-
19	लक्षद्वीप	5091	2542	1842	12	1229	10716	684	613
20	मध्य प्रदेश	5804	755	1864	813	296	9532	613	539
21	महाराष्ट्र	38	-	425	-	-	463	-	-
22	मणिपुर	40	-	-	-	-	40	-	-
23	मेघालय	6	-	-	-	-	6	-	-
24	मिजोरम	18	-	-	-	-	18	-	-
25	नगालैंड	3478	544	3297	506	316	8141	384	278
26	ओडिशा	217	-	142	-	-	359	-	-
27	पुदुचेरी	2126	1352	3899	1	-	7378	-	-
28	पंजाब	5700	2294	2042	23	1464	11523	653	582
29	राजस्थान	90	85	-	-	-	175	-	-
30	सिक्किम	2845	451	951	282	71	4600	217	193
31	तमिलनाडु	6095	364	293	1	-	6753	-	-
32	तेलंगाना	45	-	-	3	-	48	-	-
33	त्रिपुरा	498	-	159	-	-	657	-	-
34	उत्तर प्रदेश	11917	7757	5904	166	4	25748	2831	2468
35	उत्तराखंड	1182	366	1623	-	-	3171	240	233
36	पश्चिम बंगाल	297	702	521	334	-	1854	218	198
कुल		**100341**	**24385**	**39267**	**3158**	**5180**	**172331**	**8149**	**7248**
